डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2001—आश्विन 27, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-2-1/2001/1-8/स्था.—श्रीमती विभा चौधरी, पदेन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के कार्यभार से मुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-2-1/2001/1-8/स्था.—निम्नलिखित अवर सचिवों को तत्काल प्रभाव से उसी हैसियत में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए विभाग में स्थानांतरित किया जाता है :—

(1) श्री व्ही. एस. शालवार पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा समाज कल्याण विभाग.   शिक्षा विभाग

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

(2) श्री एस. आर. चौरे उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग. — पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा समाज कल्याण विभाग.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-2-9/2001/1-8/स्था.—श्री बी. के. सिन्हा (भा. व. से.) स्थानापन्न संयुक्त सचिव, लोक निर्माण, आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, की पदोन्नति वन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-1-49/व.स./2001, दिनांक 23-8-2001 द्वारा वन संरक्षक के पद पर किये जाने के फलस्वरूप, उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष सचिव, लोक निर्माण, आवास, पर्यावरण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2001

क्रमांक एफ-7-1/राजस्व/2001.—राज्य शासन भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 3 (ग) के अंतर्गत ऐसे उप-जिलाध्यक्ष जो कि तहसीलदार अथवा अधीक्षक, भू-अभिलेख पद से पदोन्नत हुए हैं, को उनके कार्यक्षेत्र में भू-अर्जन कार्य सम्पादन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कलेक्टर के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए नियुक्त करता है.

2. राज्य शासन भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 3 (ग) के अंतर्गत ऐसे उप-जिलाध्यक्षों जो कि कार्यालय अधीक्षक के पद से पदोन्नत हुए हैं एवं उप-जिलाध्यक्ष के पद पर 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर समस्त विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है अथवा विभागीय परीक्षाओं से छूट प्रदान कर ली है, को उनके अधिकारिता क्षेत्र में भू-अर्जन कार्य सम्पादन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कलेक्टर के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू सिंह बघेल, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-1/गृह/2001.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम एवं द्वितीय" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	सश्रेय	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री सोणमणि बोरा	सहायक कलेक्टर

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम से सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न-पत्र में आगामी परीक्षाओं में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	स्तर (5)
	रायपुर-संभाग			
1.	श्री संतोष कुमार देवांगन.	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम	सश्रेय
2.	श्री भरत राम ध्रुव	सहायक अधीक्षक भू-अभि.	द्वितीय	सश्रेय
	बिलासपुर-संभाग			
3.	श्री संदीप ठाकुर	नायब तहसीलदार	प्रथम	निम्नस्तर

टीप :—श्री ठाकुर राम रात्रे, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, माह जनवरी, 2001 में बिलासपुर संभाग से सरल क्रमांक 56 पर निम्नस्तर से पूर्व में ही उत्तीर्ण हो चुके हैं.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ 9-2/गृह/2001.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित टिप्पणी रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	कुमारी मंजुषा शर्मा	परि. उप पंजीयक
	निम्न स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री ब्रजेश शुक्ला	पंजीयक लिपिक
	बिलासपुर-संभाग	
2.	श्री लेयोस टोप्पो	पंजीयन लिपिक
3.	श्री नेस्तोर तिर्की	पंजीयन लिपिक

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2001

क्रमांक 9-20/गृह/2001.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22-8-2001 को प्रश्न-पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	सश्रेय	
	बस्तर-संभाग	
1.	श्री सुबोध कुमार सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत.
2.	श्री अजेन्द्र कुमार पाणिग्राही	राजस्व निरीक्षक
	बिलासपुर-संभाग	
3.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर
	उच्च स्तर	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	श्री संतोष कुमार देवांगन	डिप्टी कलेक्टर
2.	श्री धर्मेश कुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर
	निम्न स्तर	
	बस्तर संभाग	
1.	श्री दयाराम कश्यप	नायब तहसीलदार
2.	कुमारी सतरूपा साहू	राजस्व निरीक्षक

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-22/गृह/2001.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "सामान्य विधि प्रश्न-पत्र 2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	बिलासपुर-संभाग	
1.	श्री हेमचन्द पहारे	सहायक वन संरक्षक
	रायपुर-संभाग	
2.	श्री एस. एस. नाविक	सहायक वन संरक्षक

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-9-10/गृह/2001.—खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "खनिज प्रबन्ध" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर रायपुर-संभाग	
1.	श्री एस. के. पटले	सहायक भौमिकी विद्

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2001

क्रमांक 446/609/स्था/2001.—राज्य शासन द्वारा संचालनालय, जीवन बीमा, छत्तीसगढ़ के कार्यालय का संचालनालय, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ में विलय का निर्णय लिया गया है.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा संचालक, जीवन बीमा, छत्तीसगढ़ कार्यालय को समाप्त कर संचालनालय, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ में विलय करता है. उक्त विलय के फलस्वरूप संचालक, जीवन बीमा को प्रदत्त समस्त अधिकारों का उपयोग एवं दायित्वों का निर्वहन संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा किया जायगा.

संचालक, जीवन बीमा के अधीनस्थ समस्त स्वीकृत पदों तथा सम्पत्ति एवं अभिलेखों को संचालक, कोष एवं लेखा को अंतरित किया जाए. कर्मचारियों के संविलियन की सेवा शर्तें तथा पदों के अंतरण का विस्तृत आदेश पृथक् से जारी किया जायेगा.

यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 187/B-2/वित्त/चार दिनांक 27-7-2001 द्वारा महालेखाकार, छत्तीसगढ़, ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, अपर सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2001

क्रमांक 4308/468/2001/चिशि.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2376/2001/चिशि, दिनांक 25-5-2001, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का गठन करते हुये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को नामनिर्देशित किया गया है, के सरल क्रमांक-1 में अंकित "डॉ. एस. एन. उपाध्याय, पूर्व प्रधानाचार्य, डगनिया, रायपुर अध्यक्ष" के स्थान पर "डॉ. डी. के. तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष" पढ़ा जावे.

2. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम-1970 की धारा-4 के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार सदस्य के रूप में अतिरिक्त नामनिर्देशन करता है :—

स.क्र. (1)	नाम (2)	पद (3)
11.	डॉ. अनूप सिंघवी 359, पंजाबी कालोनी, रायपुर.	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

विधि और विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2001

क्रमांक डी 5148/2244/21-ब/छ.ग./2001.—राज्य शासन द्वारा श्री आलोक झा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विलासपुर एवं श्रीमती अनिता झा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की सेवाएं मानव अधिकार आयोग में क्रमश: संयुक्त सचिव के पद पर (वेतनमान रुपये 12750-16500) एवं उप-सचिव के पद पर (वेतनमान रुपये 12000-16500) उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2001

क्रमांक 2335/2255/श्रम/2001.—म. प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है, कि दुर्ग के स्थानीय समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाईज यूनियन, भिलाई एवं भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 21/एम.पी.आई.आर./99

Raipur, the 5th October 2001

No. 2335/2255/श्रम/2001.—In exercise of the power conferred by Sub-section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act, 1960 (27 of 1960) the State Government hereby notify that no settlement was arrived at on the Industrial Disputes between Hindustan Steel Employees Union Bhilai and Bhilai Steel Plant, Bhilai in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the local area of Durg.

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 21/M.P.I.R./99

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2001

क्रमांक 2337/2255/श्रम/2001.—चूंकि भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के 25 विधिक केन्टीनों में कार्यरत कर्मचारी तथा 17 गैर विधिक केन्टीनों में कार्यरत कर्मचारी जिनका प्रतिनिधित्व हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाईज यूनियन, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई द्वारा किया जा रहा है, एवं सेवा नियोजक, प्रबंध निर्देशक, भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई, जिला-दुर्ग के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न है.

और, चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है, कि औद्योगिक विवाद विद्यमान है, तथैव उक्त विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णायार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभवनीय नहीं है,

अतएव अव मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27, सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुस्थ औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ खण्डपीठ, रायपुर को पंचनिर्णायार्थ संदर्भित करता है :—

अनुसूची

1. क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के 25 विधिक केन्टीनों में कार्यरत कर्मचारियों को भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की भांति समस्त सुविधाएं दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए तथा इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?

2. क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के 17 गैर विधिक केन्टीनों को विधिक केन्टीन मान्य किया जाकर उनमें कार्यरत कर्मचारियों को भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के समान वेतन एवं अन्य सुविधाएं दिये जाने का औचित्य है? यदि है तो नियोजित कर्मचारियों को क्या सुविधा दी जानी चाहिए? तथा इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. राव, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2000

क्रमांक 352/2000/योआसावि.—राज्य शासन द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन योजना के संबंध में जिला अन्तर्विभागीय समन्वय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

1. जिला पुलिस अधीक्षक	अध्यक्ष
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी.	सदस्य सचिव
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5. महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य
6. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	सदस्य
7. स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नगरीय	सदस्य

2. उक्त समिति का गठन जन्म-मृत्यु पंजीयन योजना के कार्यान्वयन में किसी भी स्तर पर उत्पन्न गत्यावरोध को हटाने एवं कार्यान्वयन एजेंसी को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिये किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2001

क्रमांक 1056/क/भू-अर्जन/4 अ/82 वर्ष 2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	नारा प. ह. नं. 62/07 रा.नि.मं., मंदिरहसौद	0.020 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	कोल्हान नाला पहुंच मार्ग हेतु.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2001

क्रमांक 1057/क/भू-अर्जन/5-अ/82 वर्ष 2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	पीपरहट्ठा प. ह. नं. 66/08	0.030 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	कोल्हान नाला पहुंच मार्ग हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

Bilaspur, the 14th September, 2001

No. 3996/II-2-1/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following member of Higher Judicial Service specified in Column No. 2 of the table below as Judge of the Court specified in Column No. (3) from the date he assumes charge of his duties, viz.:—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Appointed in the Court of (3)
1.	Shri Sharad Kumar Gupta, VII Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.	I Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.

बिलासपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2001

क्रमांक 4080/तीन-6-7/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री गौतम चौराड़िया, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर, 2001 द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, के जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालयों का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

Bilaspur, the 20th September, 2001

No. 4080/III-6-7/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, appoints Shri Gautam Chouradiya Chief Judicial Magistrate, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate, First Class (Specially for C.B.I. cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/Ch., dated 19th September, 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Preventation of Corruption Act, 1988 (49 of 1988).

The Head Quarter of the Court shall be at Raipur.

By order of the High Court,
T. K. JHA, Registrar General.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 7 सितम्बर, 2001—16 भाद्रपद, 1923 (शक)

आदेश

सं. 76/म.प्र./2001 (5).—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 1998 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्तर्गत दाखिल करने में असफल रहा है;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम संख्या (1)	निर्वाचन का विवरण (2)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम (3)	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता (4)	निरर्हता का कारण (5)
1.	मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 1998.	138-बसना	श्री चमार सिंह, धनोरा पोस्ट आफिस घोंच, व्हाया-पिथौरा, जिला-महासमुन्द, मध्यप्रदेश.	कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा.
2.	—वही—.	—वही—	श्रीमती मुनुबाई पटेल ग्राम-धनापाली, पोस्ट ऑफिस-बाराडोली, तहसील-बसना, जिला-महासमुन्द, मध्यप्रदेश.	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा.
3.	—वही—	139-खल्लारी	श्री बुडूराम, वार्ड नं. 9, अचानक-पारा बागबहरा, तहसील एवं जिला-महासमुन्द, मध्यप्रदेश.	कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा.

आदेश से
हस्ता/-
(एच. एल. फारुकी)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated 7th September 2001, 16 Bhadrapada, 1923 (Saka)

ORDER

No. 76/MP/2001 (5).—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the table below at the General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 1998 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge account of his election expenses within the specified time required by the Representation of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10 A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No. (1)	Particular of election (2)	S. No. & Name of assembly constituency (3)	Name & address of the contesing candidate (4)	Reason for disqualification (5)
1.	General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 1998.	138-Basna	Shri Chamar Singh Dhanora, P. O. Ghonch Via-Pithora, Distt.-Mahasamund, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	—do—	—do—	Smt. Munubai Patel, Gram-Dhanapali, P. O. Barodoli, Tahsil-Mahasamund, Basna, Distt.-Mahasamund, Madhya Pradesh.	Failure to lodge account in the manner required by law.
3.	—do—	139 Khallari	Shri Buduram Ward No. 9, Achanak Para, Bagbahara Tahsil & Distt.-Mahasamund, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of election expenses.

By order,
Sd/-
(L. H. FARUQI)
Secretary,
Election Commission of India.